<u>निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.</u>
<u>उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित</u>

प्रकरण संख्या 57 / 2025
दायरा दिनांकः–01.07.2025
निर्णय दिनांकः– 24.09.2025

<u>उनवान</u>

1. नवल किशोर मालव आयु 45 साल पुत्र रामप्रसाद जाति धाकड निवासी ग्राम खांखरा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

<u>बनाम</u>

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबड़ा जिला बारां

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 24.09.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री भंवरसिंह जादौन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबड़ा में भूमि खाता संख्या 393 की खसरा नं 715/1 रकबा 1.8211 हैक्टेयर जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/6 एवं उसी प्रकर भूमि खाता संख्या 394 की खसरा संख्या 506 की रकबा 1.6693 है0 स्थित है जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 1/64 स्थित है जो दर्ज जमाबन्दी चला आ रहा है जिसकी वर्तमान जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है जिसे आगे उक्त वाद पत्र में विवादग्रस्त भूमि के नाम से संबोधित किया गया है। प्रार्थी उक्त प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमि के अपने हिस्से पर गत कई वर्षों से काबिज रहकर शांतिपूर्वक काश्त करता चला आ रहा है। उक्त प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 में वर्णित भूमियात का प्रार्थी के पिता का फौती इंतकाल खोलते समय राजस्व कर्मचारियों के संहवन से इंतकाल में नवलकिशोर मालव के स्थान पर घर में बोलता नाम पप्पू दर्ज कर दिया गया है जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नवलकिशोर मालव है। जिसे दूरस्तीकरण किया जाकर पप्पू के स्थान पर नवलकिशोर मालव किया जाना आवश्यक है जो अत्यंत आवश्यक व न्यायोचित है। प्रार्थी के सभी सरकारी दस्तावेजात आधार कार्ड, पहचान–पत्र, जन आधार कार्ड, राशन कार्ड, सभी में प्रार्थी का नाम नवलकिशोर मालव ही दर्ज है। प्रार्थी के

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

ना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में गलत नाम पप्पु दर्ज होने से उसे क्रेन्द्र सरकार, राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं के लाभ व फसल मुआवजा राशि से वंचित होना पड़ रहा है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की मद नं० 1 में वर्णित भूमि के खाते पर किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ऋण प्राप्त कर ट्यूबवेल लगाकर तार फेंसिंग कर भूमि समतल करवाकर प्रगतिशील काश्त करना चाहता है परन्तु प्रार्थी को राजस्व रिकॉर्ड में नाम दूरस्तीकरण किये बिना संभव नहीं है। प्रार्थी दिनांक 25.06.2025 को किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने के लिए हल्का पटवारी के पास अपने खाते की नकल लेने गया तो उसे हल्का पटवारी ने राजस्व रिकॉर्ड में अपने नाम की त्रुटि की जानकारी हुई।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी की ओर से जवाब/रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 394 नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 393 नकल जमाबन्दी ग्राम खांखरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 149 पेश की गई। फोटो प्रति मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का 1/64 हिस्सा दर्ज है जिस पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है प्रार्थी के पिता का स्वर्गवास होने के बाद फोती नामान्तरण खोलते समय सहचन से इन्तकाल में नवलकिशोर मालव के स्थान पर बोलता नाम पप्पु दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम नवलकिशोर मालव है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में पप्पु के स्थान पर नकवल किशोर मालव किया जावें। प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेजों में नवल किशोर मालव दर्ज है तथा राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पप्पु दर्ज है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण राज्य सरकार से मिलने वाले समस्त लाभो से वंचित होना पड रहा है इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पप्पु के स्थान पर नवल किशोर मालव दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। पटवारी कडैयानोहर अनुसार ग्राम खांखरा में जाकर मजमे आम में उपस्थित ग्राम वासियो से उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जानकारी ली तो उन्होने ने बताया कि नवल किशोर मालव को घर में बोलता नाम पप्पु है। पप्पु उर्फ नवलकिशोर मालव पुत्र रामप्रसाद दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति के बताये है पप्पु उर्फ नवल किशोर दोनो ही नाम एक ही व्यक्ति के होना बतायें गये।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम कडैयानोहर सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 394, 393 में प्रार्थी का नाम पप्पु पुत्र रामप्रसाद शामलाती खातेदारी में दर्ज है नकल जंमाबन्दी ग्राम खांखरा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 149 में प्रार्थी का नाम नवल किशोर मालव पुत्र रामप्रसाद हिस्सा 1/24 दर्ज है फोटो प्रति मतदाता पहचान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड में प्रार्थी का नाम नवलकिशोर पुत्र रामप्रसाद दर्ज है प्रस्तुत दस्तावेजो से एवं राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ग्राम खांखरा में प्रार्थी का सही नाम नवल किशोर मालव दर्ज है परन्तु ग्राम कडैयानोहर की जमाबन्दी में गलत नाम पप्पु पुत्र रामप्रसाद दर्ज है प्रार्थी अपना नाम ग्राम कडैयानोहर की जमाबन्दी खाता संख्या 393, 394 में पप्पु के स्थान पर नवल किशोर मालव दर्ज करवाना चाहता है। तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थी का नाम नवल किशोर मालव किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम कडैयानोहर तहसील छबडा के खाता संख्या 394 के खसरा नम्बर 506 रकबा 1.6693 है0 खाता संख्या 393 के खसरा नम्बर 715/1 रकबा 1.8211 है0 में प्रार्थी का नाम पप्पू के स्थान पर पप्पू उर्फ नवल किशोर मालव दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा
उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)